न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
13-1-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16-1-25 को पेश हो।
16.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकील प्रतिवादीगण की सहमति पर प्रकरण में अन्तिम बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 22.01.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
22.01.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
58 / 2024	2024 / 162	09.05.2024	22.01.2025

उनवान प्रकरण

1. गोपाल पुत्र बद्रीप्रसाद आयु 65 साल
2. छोटूराम पुत्र बद्रीप्रसाद आयु 60 साल
3. प्रेमचन्द पुत्र बद्रीप्रसाद आयु 55 वर्ष
4. बोदूराम पुत्र बद्रीप्रसाद आयु 48 वर्ष

समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी छीलावाली तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम्

1. गणपत लाल पुत्र गोविन्दराम आयु 72 वर्ष
2. गोपाल पुत्र गोविन्दराम आयु 80 वर्ष
3. देवीलाल पुत्र गोविन्दराम आयु 85 वर्ष
4. नाथी देवी पत्नी भगवाना पुत्र गोविन्दराम आयु [illegible] वर्ष
5. कौशल पुत्र भगवाना पुत्र गोविन्दराम आयु 50 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

6. सुशीला पुत्री भगवाना पुत्र गोविन्दराम आयु 43 वर्ष

7. कौशल्या पत्नी स्व. कमल पुत्र भगवाना आयु 48 वर्ष

8. गौरव पुत्र स्व. कमल पुत्र भगवाना आयु 25 वर्ष

9. अनिल पुत्र स्व. कमल पुत्र भगवाना आयु 28 वर्ष

10. देवश पुत्र स्व. कमल पुत्र भगवाना आयु 30 वर्ष

11. भोमाराम पुत्र हणमान आयु 70 वर्ष

समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी छीलावाली तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

12. पटवारी पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर

13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

––प्रतिवादीगण––

उपस्थित :–

श्री विनोद कुमार सैनी , एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री झाबर मल कुड़ी, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,7,8,9 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:01 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि तन ग्राम छीलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 256 रकबा 2.23 हैक्टर को वादीगण ने सन् 1995 मे पूर्व खातेदार श्यामलाल से क्रय की थी। जिसमे 1/2 हिस्सा वादी नम्बर 1 गोपाल ने एंव शेष 1/2 हिस्सा वादीगण नम्बर 2 ता 4 ने क्रय किया था। जिसके वर्तमान में नये खसरा नम्बर 1670/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1671/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर दर्ज किये गये। वादीगण नम्बर 1 ता 4 ने आपस में भूमि खसरा नम्बर 1670/1248 व 1671/1248 का आपस मे बंटवारा कराया तो वादी नम्बर 1 गोपाल के हिस्से में 1671/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर एंव वादीगण नम्बर 2 ता 4 के हिस्से में 1670/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण ने बंटवारा कराकर खातेदारी अलग–अलग अपने नाम से अंकित करवा ली तथा उसी अनुसार काबिज काश्त एंव आबाद चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भूमि खसरा नम्बर 1670/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर वादी नम्बर 2 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिया एंव भूमि खसरा नम्बर 1671/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर का वादी नम्बर 1 गोपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया लेकिन नजरी नक्शे में भूमि खसरा नम्बर 1670/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर के ही दो भाग 1670/1248 व 1671/1248 बनाकर नक्शे में दर्शित कर दिये जबकि खसरा नम्बर 1671/1248 का अंकन मौके के अनुसार नक्शे में सही जगह पर नहीं किया एंव उक्त भूमि की जमीन राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 1778/1229 में सम्मिलित कर दी गई जबकि उक्त खसरा नम्बर 1778/1229 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से अंकित है। इस कारण प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण हाजा को पक्षकार बनाया गया है। वादीगण [illegible] नक्शे [illegible] दुरूस्त कराने के पूर्ण हक अधिकारी होने से उक्तानुसार दुरुस्ती [illegible] खसरा नम्बर 1671/1248 व 1670/1248 का एक ही नम्बर [illegible] दर्शित स्थान पर खसरा नम्बर 1670/1248 के खसरा नम्बर के पूर्वी तरफ रास्ते [illegible] सटाकर रास्ते से पूर्वी ओर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

खसरा नम्बर 1671/1248 को नजरी नक्शे में अंकित किया है एंव उक्त खसरा नम्बर 1671/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर को नजरी नक्शे में स्थापित नजरी नक्शे में 1778/1229 के पश्चिमी तरफ संयोजित किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण नम्बर 12 व 13 द्वारा दिनांक 23.04.2024 को राजस्व नक्शे में दुरूस्ती करने से इन्कार होने व कहने सुनने से नही मानने के कारण वादकारण उत्पन्न होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने दावा पेश कर विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन करते हुए भूमि खसरा नम्बर 1670/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर व खसरा नम्बर 1671/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर तन् ग्राम छिलावाली पटवार हल्का महरोली जो कि राजस्व नक्शे मे एक जगह सम्मिलित है, खसरा नम्बर 1671/1248 व 1670/1248 का एक ही नम्बर नजरी नक्शे में दर्शित स्थान पर खसरा नम्बर 1670/1248 अंकित किया जावे तथा इस खसरा नम्बर 1670/1248 के पूर्वी तरफ रास्ते के सटाकर रास्ते से पूर्वी ओर उक्त खसरा नम्बर 1671/1248 को नजरी नक्शे में अंकित किया जावे एंव उक्त खसरा नम्बर 1671/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर को नजरी नक्शे में स्थापित 1778/1229 के पश्चिमी तरफ संयोजित किया जाकर राजस्व नक्शा दुरूस्त फरमाये जाने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने कि वे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे, उक्त गलत नक्शे के आधार पर राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें, ना ही मौके पर कोई परिवर्तन करने बाबत पाबन्द किये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। रजिस्टर्ड डाक के तामील करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 9 की ओर से राजीनामा पेश किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश हुआ। दावे में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3052/भू.अ./24 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का महरोली की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम छिलावाली पटवार मण्डल महरोली के भूमि खसरा नम्बर 1670/1248 रकबा 1.1150 खातेदार छोटूराम, प्रेमचन्द बोदूराम पुत्र बद्रीनारायण जाति माली के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि खसरा संख्या 1671/1248 रकबा 1.1150 खातेदार गोपाल लाल पुत्र बद्रीनारायण जाति माली सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त दोनो खसरा नम्बर मूल खसरा नम्बर 1248 रकबा 2.23 हैक्टर था, जिसका न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के प्रकरण संख्या 244/2016 उनवानी गोपाल लाल बनाम् छोटूराम वगै0 में पारित निर्णय व आदेश कमांक 4742 दिनांक 03.01.2018 को डिकी से विभाजन हुआ था। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 09.07.2018 स्वीकृत हुआ था। मौके पर खसरा नम्बर 1670/1248 व 1671/1248 पर खातेदार छोटुराम, प्रेमचन्द, बोदूराम पुत्रगण बदीनारायण जाति माली सा. देह का कब्जा काश्त कर रहे है। उक्त खसरा नम्बर पुराना 1248 के पूर्व दिशा में रास्ता निकला है एंव रास्ते के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1229 रकबा 4.70 हैक्टर भूमि है जिसमें 1777/1229 रकबा 0.1600 गै0मु0 रास्ता एंव 1778/1229 रकबा 4.54 हैक्टर खातेदार गणपतलाल गोपालचन्द देवीलाल भगवानसहाय पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 35/36 एंव भोगा पुत्र हनुमान हिस्सा 1/36 जाति माली सा. देह दर्ज रिकार्ड है। खसरा संख्या– 1778/1229 में खातेदार गोपाललाल पुत्र बद्रीनारायण जाति माली सा. देह द्वारा अपना कब्जा काश्त किया जा रहा है। जो लगभग 30 वर्षो से काबिज होकर मौके पर कब्जा काश्त होना बताया गया। मौके पर कब्जा की भूमि का फीता चलाकर रकबा 1.11[illegible] में तारबन्दी कर कब्जा है। खसरा नम्बर 1670/1248 व 1671/1248 [illegible] खसरा नम्बर से बनाया जाना एव खसरा नम्बर 1778/1229 में खसरा नम्बर 1248 का हिस्सा रकबा किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

अंकित किया है। मौके पर काबिज का रकबा अनुसार गोपाललाल पुत्र बद्रीनारायण जाति माली सा. देह ने जब से भूमि का क्रय किया है तब से ही वर्तमान मौके के अनुसार ही कब्जा काश्त करते आ रहे होने तथा खातेदार खसरा नम्बर 1778/1229 वालो द्वारा भी मौका स्थिति पर गोपाल लाल का कब्जा बताते हुए उक्तानुसार दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में की है। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 गोपाल लाल का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया जाकर पेशशुदा दस्तावेजात् पर प्रदर्श अंकित किये जाकर प्रकरण को बहस में रखा गया। वकील वादीगण ने वादपत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की तीन जमाबंदीया, आंशिक नक्शा ट्रेस, प्रस्तावित नजरी नक्शा, आधार कार्ड, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, पटवारी हल्का महरोली की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम छिलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1670/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1671/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादीगण नम्बर 1 ता 4 ने आपस में भूमि खसरा नम्बर 1670/1248 व 1671/1248 का आपस मे बंटवारा कराये जाने पर वादी नम्बर 1 गोपाल के हिस्से में 1671/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर एंव वादीगण नम्बर 2 ता 4 के हिस्से में 1670/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर भूमि बंटवारा अनुसार आकर खा[illegible] दर्ज रिकार्ड होना तथा उक्त खसरा नम्बर 1670/1248 रक[illegible] [illegible] भाग 1670/1248 व 1671/1248 बनाया जाना प्रकट होता है। उक्त न[illegible] दोनों खसरा नम्बरान् का नजरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नक्शा में अंकन करते समय खसरा नम्बर 1671/1248 का अंकन मौके अनुसार नक्शे में सही जगह पर नहीं किया जाकर उक्त भूमि नक्शे में खसरा नम्बर 1778/1229 में सम्मिलित की जाकर खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम अंकित होना प्रतित होती है। उक्त नक्शे में हुई त्रुटि को दुरूस्त कराये जाने बाबत प्रस्तुत वादपत्र को वादीगण द्वारा पेश किया जाना एवं इस बाबत पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा होकर न्यायालय से राजीनामा तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। पक्षकारान् प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा व इकबाली जवाब दावा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाना प्रकट होता है। वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 1670/1248 के पूर्वी तरफ रास्ते के सटाकर रास्ते से पूर्वी ओर उक्त खसरा नम्बर 1671/1248 को नजरी नक्शे में अंकित किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पटवारी हल्का महरोली की रिपोर्ट के आधार पर किया जाना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा चाही गई शुद्धि किया जाकर दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन ग्राम छिलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1670/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर व खसरा नम्बर 1671/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर राजस्व नक्शे में एक जगह सम्मिलित है जिसमें खसरा नम्बर 1671/1248 व 1670/1248 का [illegible] नजरी नक्शे में दर्शित स्थान पर खसरा नम्बर 1670/[illegible] इस खसरा नम्बर 1670/1248 के पूर्वी तरफ रास्ते [illegible] पूर्वी ओर उक्त खसरा नम्बर 1671/1248 को नजरी नक्शे में अंकित किये जाने एंव उक्त खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1671/1248 रकबा 1.1150 हैक्टर को नजरी नक्शे में स्थापित नजरी नक्शे में 1778/1229 के पश्चिमी तरफ संयोजित किया जाकर खसरा नम्बर 1671/1248 की तरमीम रास्ता खसरा नम्बर 1777/1229 के पूर्व में खसरा नम्बर 1778/1229 में किये जाने की अनुमति दी जाती है एंव वर्तमान खसरा नम्बर 1670/1248 व 1671/1248 के मध्य की तरमीम को विलोपित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:01 IST
Reason: SelfAttested